# पर्चा डिक्री

## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 216/2017**

**अनवान :**

दलीपसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

**बनाम**

1. बनवारी पुत्र श्री सांवतराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. लिछमा पुत्री श्री बनवारी जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

**– प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री जगदीश महला की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव हुणतपुरा के खाता सं0 54/55 के खसरा सं0 71/3 की 2.2380 है0 व 71/4 की 1.8960 है0 कुल 4.134 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (R.A.S.)

**सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)**

**भादरा, जिला हनुमानगढ़**

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 216/2017**

**अनवान :**

दलीपसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **वादी**

**बनाम**

1. बनवारी पुत्र श्री सांवतराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. लिछमा पुत्री श्री बनवारी जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत घोषणात्मक**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**
**उपस्थिति :** वकील श्री जगदीश महला : **वादी**
**निर्णय** **दिनांक :** 14.2.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव जाटान के खाता सं0 82/78 के खसरा सं0 27/3 की 1.8840 है0 व गांव हुणतपुरा के खाता सं0 54/55 के खसरा सं0 71/3 की 2.2380 है0 व 71/4 की 1.8960 है0 कुल 4.134 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है।

वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जो परिवार का कर्ता होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हुई है। वाद भूमि पहले वादी के दादा सांवतराम के नाम खातेदारी थी, उससे पहले यह भूमि वादी के पड़दादा के नाम दर्ज थी जो विरासतन प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। चूंकि गांव जाटान की भूमि प्रतिवादी सं0 1 को गांव हुणतपुरा की जमीन में कम हिस्सा होने के कारण बदले में मिली हुई है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार में रहते हुए संयुक्त सरमाये से अर्जित की हुई भूमि थी इसमें शामिल है। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने के कारण इसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का भी जन्म से हक व अधिकार है।

प्रतिवादी सं0 2 वादी की बहन है तथा प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री है। वाद भूमि में हालांकि उसका भी हक हिस्सा था। लेकिन उसकी शादी काफी अर्सा पहले काफी खर्चा करके वादी एवं वादी के पिता ने कर दी तब से वह अपने ससूराल में रहती है। शादी के बाद भी भात, छूछक एवं अन्य सामाजिक समारोह में भी समस्त रिति रिवाज में वादी ने बढचढकर भाग लिया। इससे खुश होकर के प्रतिवादी सं0 2 ने वाद भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा बनता था, वह वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है। वह आपसी प्रेम, स्नेह वश वाद भूमि में हिस्सा नहीं

लेना चाहती है। वैसे भी हमारे समाज में लडकियों को पिता की जायदाद में हक हिस्सा लेने की परम्परा नहीं है। इसके अलावा प्रतिवादी सं0 1 ने भी अपना जो भी हक व हिस्सा था वह आपसी प्रेम स्नेह के कारण वह वादी के हक में छोड़ दिया है क्योंकि वादी के पिता बनवारीलाल की आयु काफी हो चुकी है तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही बंटवारा करके वाद भूमि वादी को सम्भला दी है। इस प्रकार वाद भूमि का प्रतिवादी सं0 1 की बजाय वादी अकेला खातेदार काश्तकार हो गया है। इसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। वाद भूमि पीएनबी बैंक शाखा मलसीसर के रहन है। उक्त ऋण राशि भरकर रहन फक करवाकर वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने इकबाल दावे पेश किये जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये।

साक्ष्य वादी में वादी दलीपसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम जाटान के खाता सं0 82/78 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम हुनवन्तपुरा के खाता सं0 54/55 सम्वत् 2072 से 75 की प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, असल प्रति वारिसनामा प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादी की दादालाई संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी गांव हुनतपुरा व जाटान में अपने पिता के नाम रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि पहले वादी के दादा सांवतराम के नाम खातेदारी दर्ज होना व उससे पहले वादी के पड़दादा के नाम दर्ज होना व संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद होना अंकित किया है जिसकी पुष्टी हेतु वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग सम्वत् 2019 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा सावंतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रदर्शित असल प्रति वारिसनामा प्रदर्श 4 में बनवारी के जीवित व मृत वारिसान में पत्नि जयकोरी मृत, एक पुत्र दलीपसिंह व एक पुत्री लिछमा मौजुद होना अंकित किया गया है। वादी ने गांव जाटान की कृषि भूमि के दादालाई होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार वाद वादी गांव हुनतपुरा की कृषि भूमि की हद तक साबित है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव हुणतपुरा के खाता सं0 54/55 के खसरा सं0 71/3 की 2.2380 है0 व 71/4 की 1.8960 है0 कुल 4.134 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर

पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़